>

Title: Need to restart Cement Factory at Japla, district Palamu, Jharkhand.

श्री कामेश्वर बैठा (पलामू) : मैं नियम 377 के अंतर्गत अपने संसदीय क्षेत्र के पलामू जिला अंतर्गत वेट तकनीक पर आधारित बंद पड़ी जपला फैक्ट्री को पुनः चालू करने के मामले पर वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा।

मेरा संसदीय क्षेत्र बेरोजगारी, भुखमरी, जनता का पलायन, प्राकृतिक आपदा तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र है। इस क्षेत्र में मात्र एक जपला सीमेंट फैक्ट्री थी, जिसकी स्थापना वर्ष 1921 में की गई थी, जिससे स्थानीय जनता की रोजी-रोटी लगी हुई थी। राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति हो रही थी, जिसे एकाएक बंद कर दिया गया।

राज्य गठन के बाद झारखंड औद्योगिक नीति 2001 के अंतर्गत गठित पुनर्वास समिति की दिनांक 17.12.2003 की बैठक में इस इकाई को पुनः चालू करने के मामले पर विचार किया गया।

आज देश में श्रम शक्ति को बढ़ाने (बेरोजगारी दूर करने के लिए) भारत सरकार तरह-तरह की औद्योगिक नीति अपना रही है, ऐसी विषम परिस्थिति में इसे बंद करना औद्योगिक नीति तथा श्रम शक्ति के विरुद्ध है।

पुनः 20.07.2007 को लाइम स्टोन माइनिंग लीज के पुर्ननवीकरण के संबंध में विचार किया गया। कब तक सरकार विचार करती रहेगी, समझ में नहीं आता।

अतः झारखंड औद्योगिक नीति 2001 एवं झारखंड उद्योग पुनर्वास योजना 2003 के आलोक में इस फैक्ट्री को पुनः चालू करने के लिए सरकार इस दिशा में शीघ्र कदम उठाए।